कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)
AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)
EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com COLLEGE CODE - 3706
WEBSITE - http://govtmmcollegekhadgawan.in/ AISHE CODE - C-9695

6.4.1 Institution has strategies for mobilization and optimal utilization of resources and funds from various sources (government/non-government organizations) and it conducts financial audits regularly (internal and external)

Response:

S.l No.	Content	Page No.
01	Scan Copy of the Year-wise Govt. Audit Report	02-07
02	Scan copy of the Year-wise Janbhagidari Audit Report	08-22
03	Scan copy of Chhattisgarh Government Store Purchase Rules 2002	23-31
04	Scan copy of Budget allocation and report of government funds.	32-36
05	Audited income and expenditure statement of the institution to be signed by CA	37-51

I.Q.A.C. Incharge
IQAC Co-ordinator

PRINCIPAL
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)
Principal

10/10/22
253

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र..856/206 /आउशि/आडिट/2022 नवा रायपुर, दिनांक 10/10 /2022

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय मॉ महामाया महाविद्यालय खड़गवॉ,
जिला–कोरिया (छ.ग.)

विषयः– विभागीय अंकेक्षण अवधि 09/2016 से 12/2019 तक का प्रतिवेदन प्रेषित कर बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय का विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अव दिनांक 09/2016 से 12/2019 तक का संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रतिवेदन के कंडिकाओं का उत्तर मय अभिलेखों के दो–दो प्रतियों संचालनालय को निराकरण हेतु 07 दिवस के भीतर भेजने की व्यवस्था करें । प्रतिवेदन का उत निम्नलिखित प्रारूप में आढ़ी शीट में तैयार कर संचालनालय की टीप हेतु पर्याप्त स्थान छोड़े त पालन प्रतिवेदन की एम.एस.वर्ड में टाईप की गई सॉफ्ट कॉपी भी संचालनालय के ई–मेल पर प्रे करें :–

//प्रारूप//

कंडिका कमांक	कंडिका की पूर्ण नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टी

वांछित जानकारी 07 दिवस के अंदर तत्काल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कर सुनिश्चित करें ।

10/10/2022

श्री युवराज सिंह जी – सहायक ग्रेड-03

कार्यालय प्राचार्य
शा० मॉ महामाया महाविद्यालय खड़गवॉ, कोरिया (छ.ग.)
क्र० 253
दि० 10/10/22

11/10/22
सहायक संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.

कृपया समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक ... करें और ... को ... करें

14/10/22

प्राप्त

Scanned with CamS

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला–कोरिया (छ.ग.) के विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 09/2016 से 12/2019 तक

प्रस्तावना :–

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ जिला–कोरिया, (छ.ग.) के अवधि 09/2016 से 12/2019 तक के अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दिनांक 16.08.2022 से 18.08.2022 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री आर. पी. शुक्ला, वरिष्ठ अंकेक्षक एवं श्री [illegible] प्रसाद [illegible] सहायक ग्रेड–दो के द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे :–

कमांक	नाम	पदनाम	अवधि
1	स्व.डॉ. अमित कुमार बावरिया	प्राचार्य (प्रभारी)	26/09/2016 से 28/12/2019 तक
2	स्व.डॉ. अमित कुमार बावरिया	ग्रंथपाल (प्रभारी)	2016 से 2019
2	निरंक	रजिस्ट्रार	निरंक
3	श्री शत्रुहन सामवानी	क्रीड़ाधिकारी	2016 से 2019
4	श्री युवराज सिंह जगत	कैशियर (प्रभारी)	2016 से 2019
5	श्री युवराज सिंह जगत	मुख्य लिपिक (प्रभारी)	2016 से 2019
6	श्री युवराज सिंह जगत	स्टोर कीपर	2016 से 2019

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन:–

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ, जिला–कोरिया. (छ.ग.) के द्वारा संधारित कैशबुक में प्रविष्ठ अंतिम शिलक का चेस्ट में रखी गई नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	कैशबुकों का प्रकार	कैश बुक का पृष्ठ क्र. व दिनांक	राशि	चेस्ट पाई गई राशि
1	शासकीय कैशबुक	निरंक	निरंक	निरंक
2	पी.डी. कैशबुक	निरंक	निरंक	निरंक
3	जनभागीदारी कैशबुक –	निरंक	निरंक	निरंक
4	रूसा कैशबुक	निरंक	47.00	47.00
5	योग	निरंक	निरंक	निरंक

निरंतर.............

Scanned with CamS

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :–

शासकीय मॉ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ, जिला–कोरिया (छ.ग.) के अभिलेखों का महालेखाकार, कोष लेखा एवं पेंशन एवं अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है–

क.	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का कमांक व दिनांक	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	महालेखाकार	निरंक	निरंक	निरंक
2	कोष लेखा एवं पेंशन	निरंक	निरंक	निरंक
3	विभागीय	निरंक	निरंक	निरंक

टीप :– यह इस संस्था का प्रथम अंकेक्षण है।

कंडिका कमांक 01 :–प्रतिभूति की राशि जमा करने बावत्:–

अंकेक्षण के समय प्रतिभूति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि रू. 1000/– एफ.डी. के रूप में बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नही करायी गयी।

अतः प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधितों से राशि जमा करा कर आडिट को अवगत करावें।

<u>कंडिका क्रमांक 02– ए.एफ. की राशि का 5 प्रतिशत का एफ.डी.का संधारित नही किया जाना:–</u>

ए.एफ. नियम 14 के अनुसार ए.एफ.मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून तक व्यय ना की जा सकी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान समीक्षा में पाया गया की ए.एफ. की 5 प्रतिशत राशि सत्र 09/2016 से 12/2019 तक की बचत राशि का पी.डी.खाते से राशि आहरित कर एफ.डी. बनाकर छायाप्रति से आडिट को अवगत करायें।

कंडिका क0–03 :– काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बावत् :–

अंकेक्षण के दौरान पी.डी. कैशबुक एवं व्हाउचरों की निरीक्षण करने पर पाया गया कि की प्राचार्य द्वारा उल्लेखित छात्र/छात्रों की के अनुसार तीन वर्ष पश्चात् राजसात किया जाना नही पाया गया।

अतः प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि काशनमनी की राजसात योग्य राशि चालान से विभागीय आयशीर्ष में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करावे।

निरंतर................

Scanned with CamS

कंडिका क. 04 :– रद्दी विक्रय के संबंध में :–

अंकेक्षण अवधि में 09/2016 से 12/2019 तक की अवधि में पी.डी. कैशबुक एवं व्हाउचर्स की समीक्षा में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा समाचार पत्र पत्रिकॉए क्रय की जा रही है किंतु उक्त अवधि में रद्दी से विक्रय मे राशि चालान से विभागीय आय शीर्ष 0202 में जमा किया जाना नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि में यदि रद्दी की विक्रय की गई हो तो चालान की छायाप्रति अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें यदि नही तो रद्दी विक्रय की कार्यवाही से आडिट की जानकारी देवे।

कंडिका क. 05 :– स्व. डॉ. श्री अमित कुमार बावरिया के अर्जित अवकाश नगदीकरण का त्रुटिपुर्ण गणना होने से कम भुगतान किया गया है।

यहा यह उल्लेखनिय है कि दिनांक 01.01.2016 का मूलवेतन 17900 था, जबकि डॉ. बावरिया की मुत्यु 10.08.2020 को हुई है ततसमय उनका मूलवेतन रू. 82200 था।

अतः प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि अंतर की राशी की गणना कर अर्जित अवकाश की भुगतान की कार्यवाही कर आडिट को अवगत करावे।

कंडिका क. 06 :– अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी –

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार अनुपयोगी पाये गये सामाग्री जैसे लोहे की आलमारी, कुर्सियां, टेबल,फ्रीज, टी0वी0, कम्प्युटर एवं अन्य उपकरण/सामग्री जो अनुपयोगी हो गये है जिन्हें छ0 ग0 शासन के वित्त निर्देश 53/2012 के सरल क0 27 पर दिये निर्देशानुसार नीलाम कर उनसे प्राप्त राशि को विभागीय आय शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण अवधि 09/2016 से 12/2019 में प्राप्त संलग्न सूची अनुसार महाविद्यालय नीलामी की कार्यवाही कर उससे प्राप्त राशी को विभागीय आय शीर्ष में जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ अंकेक्षक
उच्च शिक्षा संचालानालय
नवा रायपुर–(छ.ग.)

Scanned with CamS

कैश का भौतिक सत्यापन

आज दिनांक 16/8/22 को शास0 माँ महामाया ~~पी.जी.~~ महाविद्यालय खड़गवाँ जिला – कोरिया छ.ग. में संधारित कैशबुकों का निम्नानुसार कैश का भौतिक सत्यापन किया गया :–

स. क्र.	कैशबुक का नाम	पृष्ठ क्र./दिनांक	राशि	चेस्ट में पाई गई राशि	अन्तर की राशि
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय कैशबुक				
2	पी.डी. कैशबुक				
3	ए0एफ0 कैशबुक	– संधारित नहीं	–	—	—
4	जनभागीदारी				
5	रूसा कैशबुक				
	योग :–				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कैशबुकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कैशबुक संधारित नहीं की गई है।

प्राचार्य
PRINCIPAL

16/8/22
वरिष्ठ अंकेक्षक
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन
अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

नोटो का विवरण

2000 x =
500 x =
200 x =
100 x =
50 x =
20 x =
10 x

Scanned with CamS

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र.582/ /आउशि/आडिट/2022 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26/12/2022

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय मॉ महामाया महाविद्यालय
खड़गवॉ, जिला–कोरिया (छ.ग.)

विषय :– विभागीय अंकेक्षण अवधि 09/2016 से 12/2019 तक का प्रेषण।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 383/स्था./2022, दिनांक 05.11.2022.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय का विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि दिनांक 09/2016 से 12/2019 तक का संलग्न प्रेषित कर लेख है की कंडिका कमांक 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 विलोपित की जाती है ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

26/12/22

(आर.के. शुक्ला)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य शा० माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवां, कोरिया (छ.ग.)
क्र० 388
दि० 26/12/2022

26/12/2022
स्थापना/ लेखा शाखा
कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु
श्री रितेश गुप्ता जी - सहायक ग्रेड-02

693

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWAN

DISTRICT - MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (C.G.)

ANNUAL AUDIT REPORT

FINANCIAL YEAR- 2017-18

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN-009189C
PATRNER
CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

M/S. LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE'S

INFRONT OF TVS SHOWROOM, SCHOOL PARA

NH-43, MAIN ROAD, BAIKUNTHPUR, PIN-497335

MO- 7974424981, 9893831622

EMAIL- caaakashagrawal21@gmail.com

Scanned with CamScanner

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHAGAWAN

DISTRICT - MCB (C.G.)

FORMING PART OF ACCOUNTS

F Y 2017-18

Auditor's Report

We have audited the attached Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet of **Maa Mahamaya College Khagawan, District- MCB, (C.G.)** for the year ended on 31/03/2018. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining. On a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe the audit provides a reasonable basis for our opinion and our report in annexure "A":-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained.
3. Subject to the notes on account enclosed and according to the explanation given to us, they said balance sheet and Income & Expenditure account read with the accounting policy give a true and fair view. :-
   1. In the case of Income & Expenditure account for the year period 1st April 2017 to 31st march 2018.
   2. In the case of balance Sheet of the statement of affairs of the sub center on 31st march 2018.

Place: - Baikunthpur
Date: - 10/11/2022
UDIN -22435261BCYXLZ5649

For M/S. Laxmi Tripti & Associate's
CA Aakash Agrawal
PARTNER
M.No. 435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWA .DIST- MCB

NAME OF SCHEME- JAN BHAGIDARI FUND

For the Year Ending 31.03.2018

(From 01.04.2017 to 31.03.2018)

Receipt and Payment

For the year ending 31-03-2018

Receipt	Amount	Payment	Amount
To,Opening Balance	46645.00	By, Office Exp.	38294.00
		Statinory Exp.	5000.00
		Wages	18400.00
		Advance (MSS)	11250.00
		Hardware Exp.	3644.00
To,Fee Receive from Student	96600.00		
		By,Bank Charges	0.00
To,Bank Interest	1087.00		
		By,Closing Balance	106038.00
Total	144332.00	Total	144332.00

Income and Expendituer

For the Year Ending 31.03.2018

Expendituer	Amount	Income	Amount
To, Office Exp.	38294.00	By,Bank Interest	1087.00
		By,Fee Receive from Student	96600.00
To,Bank Charges	0.00		
		By,Excess of Expenditure over	
To,Excess of Income over	59393.00	Income carried over to the BS	
Expenditure carried over			
to the Balance			
Total	97687.00	Total	97687.00

Balance Sheet

For the year ending 31-03-2018

Laibilites	Amount	Assest	Amount
Accumulated Fund		Fixed Assets	
a)Opening Balance B/F	46645.00		
b)Add/deduct : Balance transferred from	59393.00	Current Assets / Advances	
Income & Expenditure Account			
	106038.00		
Outstanding Expenses / Payable		c) Closing Balance :	
		(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00
Any other liabilities		(ii) Cash at Bank with the Agency	73838.00
Total	106038.00	Total	106038.00

Place-Baikunthpur
Date- 10/11/2022

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates
CA.Aakash Agrawal
PARTNER
M.No.435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWAN

DISTRICT - MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (C.G.)

ANNUAL AUDIT REPORT

FINANCIAL YEAR- 2018-19

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN-009189C
PATRNER

M/S. LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE'S

INFRONT OF TVS SHOWROOM, SCHOOL PARA

NH-43, MAIN ROAD, BAIKUNTHPUR, PIN-497335

MO- 7974424981, 9893831622

EMAIL- caaakashagrawal21@gmail.com

Scanned with CamScanner

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHAGAWAN

DISTRICT - MCB (C.G.)

FORMING PART OF ACCOUNTS

F Y 2018-19

Auditor's Report

We have audited the attached Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet of **Maa Mahamaya College Khagawan, District- MCB, (C.G.)** for the year ended on 31/03/2019. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining. On a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe the audit provides a reasonable basis for our opinion and our report in annexure "A":-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained.
3. Subject to the notes on account enclosed and according to the explanation given to us, they said balance sheet and Income & Expenditure account read with the accounting policy give a true and fair view. :-
   1. In the case of Income & Expenditure account for the year period 1st April 2018 to 31st march 2019.
   2. In the case of balance Sheet of the statement of affairs of the sub center on 31st march 2019.

Place: - Baikunthpur
Date: - 10/11/2022
UDIN- 22435261BCYXVG1380

For M/S. Laxmi Tripti & Associate's
CA Aakash Agrawal
PARTNER
M.No. 435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-009189C PATRNER

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWA .DIST- MCB

NAME OF SCHEME- JAN BHAGIDARI FUND

For the Year Ending 31.03.2019

(From 01.04.2018 to 31.03.2019)

Receipt and Payment

For the year ending 31-03-2019

Receipt	Amount	Payment	Amount
To,Opening Balance	106038.00	By,Office Exp.	**47510.00**
		Wages	15000.00
		Salary	19900.00
		Hardware Exp.	5700.00
		Printing & Statinory	6010.00
		Refreshment	900.00
To,Fee Receive from Student	11250.00		
		By,Bank Charges	0.00
To,Bank Interest	2025.00		
		By,Closing Balance	71803.00
Total	**119313.00**	**Total**	**119313.00**

Income and Expendituer

For the Year Ending 31.03.2019

Expendituer	Amount	Income	Amount
To, Office Exp.	47510.00	By,Bank Interest	2025.00
		By,Fee Receive from Student	11250.00
To,Bank Charges	0.00		
To,Excess of Income over Expenditure carried over to the Balance	0.00	By,Excess of Expenditure over Income carried over to the BS	34235.00
Total	**47510.00**	**Total**	**47510.00**

Balance Sheet

For the year ending 31-03-2019

Laibilites	Amount	Assest	Amount
Accumulated Fund		Fixed Assets	
a)Opening Balance B/F	106038.00		
b)Add/deduct : Balance transferred fror Income & Expenditure Account	34235.00	Current Assets / Advances	
	71803.00		
Outstanding Expenses / Payable		c) Closing Balance :	
		(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00
Any other liabilities		(ii) Cash at Bank with the Agency	39603.00
Total	**71803.00**	**Total**	**71803.00**

Place-Baikunthpur
Date- 10/11/2022

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates
CA.Aakash Agrawal
PARTNER
M.No.435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-009189C PATRNER

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWAN

DISTRICT - MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (C.G.)

ANNUAL AUDIT REPORT

FINANCIAL YEAR- 2019-20

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN-009189C
PATRNER
CHARTERED ACCOUNTANTS

M/S. LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE'S

INFRONT OF TVS SHOWROOM, SCHOOL PARA

NH-43, MAIN ROAD, BAIKUNTHPUR, PIN-497335

MO- 7974424981, 9893831622

EMAIL- caaakashagrawal21@gmail.com

Scanned with CamScanner

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHAGAWAN

DISTRICT - MCB (C.G.)

FORMING PART OF ACCOUNTS

F Y 2019-20

Auditor's Report

We have audited the attached Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet of **Maa Mahamaya College Khagawan, District- MCB, (C.G.)** for the year ended on 31/03/2020. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining. On a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe the audit provides a reasonable basis for our opinion and our report in annexure "A":-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained.
3. Subject to the notes on account enclosed and according to the explanation given to us, they said balance sheet and Income & Expenditure account read with the accounting policy give a true and fair view. :-
    1. In the case of Income & Expenditure account for the year period 1st April 2019 to 31st march 2020.
    2. In the case of balance Sheet of the statement of affairs of the sub center on 31st march 2020.

Place: - Baikunthpur
Date: - 10/11/2022
UDIN- 22435261BCYXXS4622

For M/S. Laxmi Tripti & Associate's
CA Aakash Agrawal
PARTNER
M.No. 435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWA .DIST- MCB

NAME OF SCHEME- JAN BHAGIDARI FUND

For the Year Ending 31.03.2020

(From 01.04.2019 to 31.03.2020)

Receipt and Payment

For the year ending 31-03-2020

Receipt	Amount	Payment	Amount
To,Opening Balance	71803.00	By,Office Exp.	33600.00
		Staf Salary	30300.00
		Stationory	3300.00
To,Fee Receive from Student	170200.00		
		By,Bank Charges	0.00
To,Bank Interest	4714.00		
		By,Closing Balance	213117.00
Total	246717.00	Total	246717.00

Income and Expendituer

For the Year Ending 31.03.2020

Expendituer	Amount	Income	Amount
To, Office Exp.	33600.00	By,Bank Interest	4714.00
		By,Fee Receive from Student	170200.00
To,Bank Charges	0.00		
		By,Excess of Expenditure over	
To,Excess of Income over	141314.00	Income carried over to the BS	
Expenditure carried over			
to the Balance			
Total	174914.00	Total	174914.00

Balance Sheet

For the year ending 31-03-2020

Laibilites	Amount	Assest	Amount
Accumulated Fund		Fixed Assets	
a)Opening Balance B/F	71803.00		
b)Add/deduct : Balance transferred from	141314.00	Current Assets / Advances	
Income & Expenditure Account			
	213117.00		
Outstanding Expenses / Payable		c) Closing Balance :	
		(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00
Any other liabilities		(ii) Cash at Bank with the Agency	180917.00
Total	213117.00	Total	213117.00

Place-Baikunthpur
Date- 10/11/2022

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates
CA.Aakash Agrawal
PARTNER
M.No.435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned with CamScan

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWAN

DISTRICT - MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (C.G.)

ANNUAL AUDIT REPORT

FINANCIAL YEAR- 2020-21

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN-009189C
PATRNER
CHARTERED ACCOUNTANTS

M/S. LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE'S

INFRONT OF TVS SHOWROOM, SCHOOL PARA

NH-43, MAIN ROAD, BAIKUNTHPUR, PIN-497335

MO- 7974424981, 9893831622

EMAIL- caaakashagrawal21@gmail.com

Scanned with CamScanner

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHAGAWAN

DISTRICT - MCB (C.G.)

FORMING PART OF ACCOUNTS

F Y 2020-21

Auditor's Report

We have audited the attached Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet of **Maa Mahamaya College Khagawan, District- MCB, (C.G.)** for the year ended on 31/03/2021. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining. On a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe the audit provides a reasonable basis for our opinion and our report in annexure "A":-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained.
3. Subject to the notes on account enclosed and according to the explanation given to us, they said balance sheet and Income & Expenditure account read with the accounting policy give a true and fair view. :-
   1. In the case of Income & Expenditure account for the year period 1st April 2020 to 31st march 2021.
   2. In the case of balance Sheet of the statement of affairs of the sub center on 31st march 2021.

Place: - Baikunthpur
Date: - 10/11/2022
UDIN - 22435261BCYYBD3361

For M/S. Laxmi Tripti & Associate's
CA Aakash Agrawal
PARTNER
M.No. 435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWA .DIST- MCB			
NAME OF SCHEME- JAN BHAGIDARI FUND			
For the Year Ending 31.03.2021			
(From 01.04.2020 to 31.03.2021)			
Receipt and Payment			
For the year ending 31-03-2021			
Receipt	Amount	Payment	Amount
To,Opening Balance	213117.00	By,Office Exp.	148835.00
(I) Cash in Hand with the Agency	32200.00	Staff Salary	24000.00
(ii) Cash at Bank with the Agency	180917.00	JBS	124835.00
To,Fee Receive from Student	224460.00		
		By,Bank Charges	0.00
To,Bank Interest	1256.00		
		By,Closing Balance	289998.00
Total	438833.00	Total	438833.00

Income and Expendituer			
For the Year Ending 31.03.2021			
Expendituer	Amount	Income	Amount
To, Office Exp.	148835.00	By,Bank Interest	1256.00
		By,Fee Receive from Student	224460.00
To,Bank Charges	0.00		
To,Excess of Income over Expenditure carried over to the Balance	76881.00	By,Excess of Expenditure over Income carried over to the BS	-
Total	225716.00	Total	225716.00

Balance Sheet			
For the year ending 31-03-2021			
Laibilites	Amount	Assest	Amount
Accumulated Fund		Fixed Assets	
a)Opening Balance B/F	213117.00		
b)Add/deduct : Balance transferred from Income & Expenditure Account	76881.00	Current Assets / Advances	
	289998.00		
Outstanding Expenses / Payable		c) Closing Balance :	
		(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00
Any other liabilities		(ii) Cash at Bank with the Agency	257798.00
Total	289998.00	Total	289998.00

Place-Baikunthpur
Date- 10/11/2022

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates
CA.Aakash Agrawal
PARTNER
M.No.435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScan

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWAN

DISTRICT - MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR (C.G.)

ANNUAL AUDIT REPORT

FINANCIAL YEAR- 2021-22

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
FRN-009189C
PATRNER
CHARTERED ACCOUNTANTS

M/S. LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE'S

INFRONT OF TVS SHOWROOM, SCHOOL PARA

NH-43, MAIN ROAD, BAIKUNTHPUR, PIN-497335

MO- 7974424981, 9893831622

EMAIL- caaakashagrawal21@gmail.com

Scanned with CamScanner

JAN BHAGIDARI FUND

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHAGAWAN

DISTRICT - MCB (C.G.)

FORMING PART OF ACCOUNTS

F Y 2021-22

Auditor's Report

We have audited the attached Receipt & Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet of **Maa Mahamaya College Khagawan, District- MCB, (C.G.)** for the year ended on 31/03/2022. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statement based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining. On a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe the audit provides a reasonable basis for our opinion and our report in annexure "A":-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our Knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained.
3. Subject to the notes on account enclosed and according to the explanation given to us, they said balance sheet and Income & Expenditure account read with the accounting policy give a true and fair view. :-
    1. In the case of Income & Expenditure account for the year period 1st April 2021 to 31st march 2022.
    2. In the case of balance Sheet of the statement of affairs of the sub center on 31st march 2022.

Place: - Baikunthpur
Date: - 10/11/2022
UDIN - 22435261BCYYDL6809

For M/S. Laxmi Tripti & Associate's
CA Aakash Agrawal
PARTNER
M.No. 435261

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES FRN-009189C PATRNER CHARTERED ACCOUNTANTS

Aakash Agrawal

Scanned with CamScanner

MAA MAHAMAYA COLLEGE , KHADGAWA .DIST- MCB			
NAME OF SCHEME- JAN BHAGIDARI FUND			
For the Year Ending 31.03.2015			
(From 01.04.2014 to 31.03.2015)			
Receipt and Payment			
For the year ending 31-03-2015			
Receipt	**Amount**	**Payment**	**Amount**
To,Opening Balance	**289998.00**	**By,Office Staff Salary Exp.**	75500.00
(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00		
(ii) Cash at Bank with the Agency	257798.00		
To,Fee Receive from Student	138400.00		
		By,Bank Charges	0.00
To,Bank Interest	6647.00		
		By,Closing Balance	359545.00
Total	**435045.00**	**Total**	**435045.00**

Income and Expendituer			
For the Year Ending 31.03.2015			
Expendituer	**Amount**	**Income**	**Amount**
To, Office Staff Salary Exp.	75500.00	By,Bank Interest	6647.00
		By,Fee Receive from Student	138400.00
To,Bank Charges	0.00		
To,Excess of Income over Expenditure carried over to the Balance	69547.00	By,Excess of Expenditure over Income carried over to the BS	
Total	**145047.00**	**Total**	**145047.00**

Balance Sheet			
For the year ending 31-03-2015			
Laibilites	**Amount**	**Assest**	**Amount**
Accumulated Fund		Fixed Assets	
a)Opening Balance B/F	289998.00		
b)Add/deduct : Balance transferred from Income & Expenditure Account	69547.00	Current Assets / Advances	
	359545.00		
Outstanding Expenses / Payable		c) Closing Balance :	
		(i) Cash in Hand with the Agency	32200.00
Any other liabilities		(ii) Cash at Bank with the Agency	327345.00
Total	**359545.00**	**Total**	**359545.00**

Place-Baikunthpur
Date- 10/11/2022

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates
CA.Aakash Agrawal
PARTNER
M.No.435261

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

(यथा संशोधित 2022)

[1]नियम

अधिसूचना क्रमांक एफ-20-2/2002/(छ:)/11 दिनांक 7 जनवरी, 2003 — राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002'' जारी करता है।

नियम 1.(1) ये नियम **''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002''** कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।

नियम प्रसारण का उद्देश्य

(अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके;

(ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके;

(स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले; तथा

(द) यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले।

नियम 2. भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री से है।

[2][2.1. समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।]

[3][**नियम 3.** - (3.1) ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का

---

1. ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 जनवरी, 2003 को पृष्ठ 25 से 26 (12) पर प्रकाशित तथा 1 दिसम्बर , 2002 से लागू।

2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/(6), दिनांक 3-9-2004 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया है (दिनांक 3-9-2004 से प्रभावी) —

   टिप्पणी — इस अध्याय में 'भंडार' शब्द से आशय सामान्यत: उन सब वस्तुओं एवं पदार्थों से हैं जो विभाग द्वारा विभाग में उपयोग हेतु क्रय अथवा अर्जित किये जाते हैं परन्तु इनमें केवल वह वस्तुयें तथा पदार्थ ही सम्मिलित नहीं है जो खपत निगमित अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लिये एकत्रित होते हैं परन्तु इनमें प्लांट, मशीन इन्स्ट्रूमेन्ट, फर्नीचर इक्वीपमेंट तथा फिक्चर की तरह के पदार्थ भी सम्मिलित हैं।''

3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 28-2-2022 द्वारा प्रतिस्थापित, छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 1-4-2022 को पृष्ठ 388-392 पर प्रकाशित। *प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 3 निम्नवत् था :-*
   '' *नियम 3* - ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

   परिशिष्ट-1 के फर्नीचर वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं की तीन साल की परफारमेंस गारंटी (Performance Guarantee) हेतु प्रावधान रहेगा। इस 03 साल की अवधि में यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फर्नीचर प्रदायकर्ता ही बिना किसी शुल्क के उक्त रिपेयरिंग कार्य करेगा।

   अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे।''

निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1 के फर्नीचर वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं की तीन साल की परफारमेंस गारंटी (Performance Guarantee) हेतु प्रावधान रहेगा। इस 3 साल की अवधि में यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फर्नीचर प्रदायकर्ता ही बिना किसी शुल्क के उक्त रिपेयरिंग कार्य करेगा।

(3.2) **परिशिष्ट-2** में उल्लेखित (कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि विपणन मंडी बोर्ड से संबंधित उत्पादन से विपणन तक की संपूर्ण क्रियाविधि एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित आईटमों) है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

(3.3) अन्य वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 एवं 2 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे।]

नियम 4. शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जावेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी —

4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.2 [1][निविदा की शर्तों का निर्धारण <u>क्रेता द्वारा</u> किया जायेगा।]

4.3 *निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ* —

[2][4.3.1एकल निविदा पद्धति — ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जावे, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 50,000 (पचास हजार) से अधिक की न हो।]

[3][4.3.2 सीमित निविदा पद्धति — साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि **रु. 50,001 से 3,00,000**

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.3.1 निम्नवत् था :-*
"*4.3.1 एकल निविदा पद्धति* - ऐसी एकल वस्तु जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जावे, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परन्तु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रुपये 10,000 से अधिक की न हो।"
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.3.2 निम्नवत् था :-*
"*4.3.2 सीमित निविदा पद्धति* — साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु.10,001 से 1,00,000 (रुपए दस हजार एक से एक लाख) तक हो। इसमें

फुटनोट अगले पृष्ठ पर सतत् ⇨⇨

(रुपये पचास हजार एक से रुपये से तीन लाख) तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

परंतु, वे **परिशिष्ट**-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर/उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हो ऐसी वस्तुओं हेतु नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

[1]**[नियम 4.3.3- खुली निविदा पद्धतिः-** इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे :-

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य-

(1) रू. 3,00,001 से 5.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।

(2) रू. 5.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक से प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।]

फुटनोट पिछले पृष्ठ से सतत् ⇨⇨

निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

परंतु वे परिशिष्ट-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य निर्धारण स्वयं करेगा।"

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.3.3 निम्नवत् था :-*
"*नियम 4.3.3- खुली निविदा पद्धतिः-* इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये, निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किये जावें :-
1- जहां निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 1,00,001 से 2.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।
2- रू. 2.00 लाख से अधिक तथा रू. 10.00 लाख तक हो प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।"

[1][(3) रू. 10.00 लाख से अधिक तथा रू. 20,00 लाख तक हो-प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।

(4) रू. 20.00 लाख से अधिक-प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी।

परन्तु केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा।

[2][परन्तु, खुली निविदा पद्धित में **प्रथम बार** आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।]

परन्तु, सुरक्षा संबंधी उपकरणों वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कंडिका-4.3.3 के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा।]

4.4 **निविदा विज्ञप्ति** — निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं।

[3][4.4.1 **निविदा सूचना के लिए विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण** — निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि **व समय** तक निविदा स्वीकार की जायेगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।]

4.4.2 **निविदा-सूचना का प्रारूप** — इस हेतु निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

[1][**4.5 निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी** —

निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा पद्धति	15	10	5
खुली निविदा (रू. 3,00,001 से अधिक रू. 10 लाख तक)	21	14	7
खुली निविदा (रू. 10 लाख से अधिक)	30	20	10
ग्लोबल निविदा	45	30	20

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।]

4.6 **निविदा प्राप्ति की पद्धति** —

4.6.1 निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी अथवा निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जाएगी।

[2][ऑन-लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।]

4.6.2 [3][रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा। ऑन-लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।]

4.6.3 [3][निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 29-12-2020 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 29-12-2020 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व द्वितीय परंतुक निम्नवत था :-*
   "परंतु खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।"
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.4.1 निम्नवत् था :-*
   "*4.4.1 निविदा सूचना के लिए विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण* - निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए, इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उल्लेख विज्ञापन में होना आवश्यक है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेण्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती हैं। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिये लम्बे-लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।"

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.4.1 निम्नवत् था :-*
   "*4.5 निविदा हेतु समय-सीमा निम्नानुसार होगी -*
   सीमित निविदा पद्धति — 15 दिन
   खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक) — 21 दिन
   खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक के लिये) — 30 दिन
   ग्लोबल निविदा — 45 दिन
   उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।"
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।

4.9 [1][**क्रय की शर्तें**—

(अ) क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

(ब) राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, **तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए,** ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बनें।

(स) निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावें।

(द) उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहां आवश्यक हो लिया जावे।

(ई) यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वहा भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा।

(फ) निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो।

(ज) क्रयकर्ता अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में निविदा में अन्य उपयुक्त शर्त का समावेश कर सकता है।

(ह) निविदा प्रपत्र में प्रदायक/विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्टत: उल्लेखित किया जावे।]

4.9.1 [2][***]

4.10 **नमूना लिया जाना** — उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो तो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.9 निम्नवत् था :-*
"*4.9 क्रय की शर्तें* — क्रय की शर्तें स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो। राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावे, जिसमें निविदा में उल्लेखित सामग्री का स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया हैं एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहां आवश्यक हो लिया जावे। यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा। दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी, मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में अन्य शर्त लगा सकता है। निविदा प्रपत्र में विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान प्रक्रिया सहित उल्लेखित हो।"
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा जीएसटी प्रणाली-एक देश एक कर, लागू हो जाने के कारण विलोपित किया गया (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।

4.11 **निविदाओं को खोलना** — उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है, तो प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावें। निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावें।

समिति के सभी सदस्य प्राप्त निविदाओं पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही साथ तुलनात्मक प्रपत्र बनाकर उस पर भी सभी के हस्ताक्षर लिये जावें। बाद में क्रय की अनुशंसा हेतु यही सब अभिलेख क्रय समिति के समक्ष रखा जाए।

4.12 **क्रय समिति का गठन** — प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रु. 50,000/- या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिवार्यत: सम्मिलित हो। इस समिति में कितने सदस्य हो इसके लिये सक्षम अधिकारी स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यत: क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करे। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायेंगे।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों की वित्तीय स्थिति, तकनीक, कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये। जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए।

यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुन: निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना सम्भावित समस्त निविदाकारों को पहुंच सके।

[1]4.13 **प्रदाय आदेश जारी करना** — क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिए कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करे। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है। उसको यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि, उसके पास कार्य का पर्याप्त ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेंगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

1. **टिप्पणी** - नियम 4.13 के अन्तर्गत प्रदाय आदेश कौन जारी कर सकता है और प्रदाय फर्म के साथ कौन करार कर सकता है इसके उत्तर में देखिये वित्त संहिता 1 के नियम 20 जिसके अनुसार वह अधिकारी सक्षम होंगे जिसे राज्य शासन द्वारा अथवा उसे आदेशों के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।
वित्तीय अधिकार 1 एवं 2 में विभिन्न अधिकारों को अधिकृत किया गया है, इन अधिकारों के अनुसार ही क्रय की अनुमति प्रदाय की जायेगी। जो पदाधिकारी स्वीकृति के लिए सक्षम है वही करार पर हस्ताक्षर कर सकता है।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक **नियत समयावधि के अन्दर एवं नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो।** करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर, उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा **2% प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ** समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। शर्ते सभी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें। यह करारनामा **स्टाम्प पेपर पर** हो और करार विधिवत् निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे।

4.14 पुनरावृत्ति आदेश (Repeat order) को मूल आदेश, के विरूद्ध लिया जा सकता है, किन्तु—

[1][(1) **पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना—**

किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर/मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट -2 की वस्तु होने की स्थिति में ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो।

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/ ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6(छः) माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

किन्तु, दर अनुबंध के **1(एक) वर्ष + छः माह** से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।]

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 4.14 (1) निम्नवत् था :-*

''उपनियम 4.14(1) - किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं हैं।

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) एवं परिशिष्ट-2 की वस्तु होने की स्थिति में ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर-अनुबंध निष्पादित न हुआ हो।

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/ छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है।

किन्तु दर अनुबंध के 1 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।''

(2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा।

(3) पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25% से अधिक का नहीं होगा।

नियम 5. [1][महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें एवं वाहन की दर एवं विशिष्टियां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो, हेतु विभाग द्वारा ऐसे वस्तुऐं जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी जेम वेबसाईट (GeM Website) में उपलब्ध हो, का क्रय आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (GeM website) से सीधे क्रय कर सकेगा। किन्तु ऐसे क्रय के लिए क्रेता विभाग जेम वेबसाईट से संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।]

5.1 [2][***]

5.2 क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुयें निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जायेगे।

नियम 6. विदेशों से क्रय — ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से ''ग्लोबल टेण्डर'' बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।

नियम 7. [3][जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)'' परिशिष्ट-1 एवं ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण, परिशिष्ट-1 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)'' व परिशिष्ट-2 की वस्तुओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।]

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 5 निम्नवत् था :-*

'' *नियम 5.* महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनें केवल उन्हीं फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डी.जी.एस. एंड डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय-समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो।''

2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा उप-नियम 5.1 विलोपित (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *विलोपन के पूर्व उपनियम 5.1 निम्नवत् था :-*

'' *5.1* ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई हों, जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो। यह निविदा प्रथम दृष्ट्या संतोषप्रद है, तो उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। अपितु इस संबंध में डी.जी.एस.एंड डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायेंगी।''

3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 7 निम्नवत् था :-*

'' *नियम 7.* जैसा कि नियम 3 में उल्लेखित है छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) परिशिष्ट-1 एवं ''छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड'' परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाइयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।''

[1][7.1 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता/उत्पादनकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता का पंजीयन किया जावेगा।

7.1.1 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के क्रय प्रक्रिया में लगने वाला निरीक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय वास्तविक दरों पर देय होगा।

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम-4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तद्नुसार सूची प्रकाशित की जायेगी।

7.3 सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी। परिशिष्ट-1 एवं 2 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैद्यता में अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध अवधि का समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल एक वर्ष छ: माह से अधिक नहीं होगी।

7.4 "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण किया जायेगा। जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिये विशेषज्ञों की सहायता लेगा।

7.5 [2]["छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 व "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।]]

राज्य शासन आदेश

विषय — भण्डार क्रय नियम 2002 के तहत अंतरिम विपणन व्यवस्था।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-20-02/2002/(छ:)/11 दिनांक 7-1-2003 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 7 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) का विपणन प्रभाग (परिशिष्ट-1) में उल्लेखित वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों एवं शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा।

चूंकि इस प्रक्रिया में सीएसआईडीसी (विपणन विभाग) को दर निर्धारण में कुछ समय लगने की संभावना है। अत: राज्य शासन ने निम्न अंतरिम व्यवस्था निर्धारित की है, जो सीएसआईडीसी द्वारा दर निर्धारण (रेट कान्ट्रेक्ट) होने तक मान्य होगा —

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 28-02-2022 द्वारा प्रतिस्थापित, छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 1-4-2022 को पृष्ठ 388-392 पर प्रकाशित।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 7.5 निम्नवत् था :-* "7.5 "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।"

1. शासकीय विभागों द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. व मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के वर्तमान दरों में जो भी कम हो, उसे मान्य कर सीधे क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक तक डी.जी.एस. एंड डी.एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग, औद्योगिक इकाईयों से ही क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।
4. निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना - वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराए गए कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें। अत: रुपये 1 लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएंगी।
5. सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियाँ क्रय करने में ऐसे उद्योगों को यथासंभव प्राथमिकता मिले।
6. अन्य बातें समान रहने पर आई.एस.आई. तथा आईएसओ 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त इकाईयों को प्रदाय आदेश देने में प्राथमिकता दी जावेगी।
7. शासकीय विभागों के विभाग प्रमुख स्तर पर सामग्री के क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) के अधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेंगे तथा प्रदायकर्ता के चयन का निर्णय इस क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।
8. सीएसआईडीसी (विपणन प्रभाग) द्वारा सामग्री विशेष की दर जारी दिनांक से यह उस सामग्री के लिए अंतरिम व्यवस्था स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।

[छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग क्रमांक एफ-20-02/2002/(छ:)/11, दिनांक 14-1-2003]

[1]**[नियम 8 -** भण्डार क्रय नियम 8 के तहत समस्त विभागों द्वारा [2][राज्य शासन के अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय] आदेश "छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विज्ञापन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर" एवं "छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर" को ही प्रदान किया जाये। ऐसी सामग्रियों के क्रय हेतु क्रय अधिकारियों द्वारा पृथक् से निविदा नहीं बुलाई जावेगी। समस्त शासकीय विभाग

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6), दिनांक 3-9-2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अधिसूचना क्र. एफ. 20-53/2020/11-6, दिनांक 14-12-2020 द्वारा (दिनांक 14-12-2020 से प्रभावी) शब्दों "हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 12-2-2021 को पृष्ठ 182 पर प्रकाशित।

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों से ही करेंगे। यदि किसी कारणवश कोई विभाग इस प्रक्रिया से छूट चाहता है तो उसे ग्रामोद्योग विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।।

[1][8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेलमेटल लौह, काष्ठ, बाँस, शीशल, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृहों में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।]

[2][8.3 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री विशेष का निर्माण करती हैं तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री विशेष का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।]

8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती है तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

[3][8.5 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा "गौधन न्याय योजना" के अंतर्गत संचालित/नियंत्रित/अधिकृत राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित "जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)" का, शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय, "कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा" समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।]

[4][8.6 राज्य शासन के समस्त विभागों, उपक्रमों एवं शासनाधीन संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा स्वयं अथवा अनुबंधित पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप ईकाईयों के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपजों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का क्रय सीधे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से उनके द्वारा निर्धारित दर पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।]

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.20-15/2003/11(6), दिनांक 18-9-2003 द्वारा इन नियमों में जोड़ा गया तथा अधिसूचना दिनांक से ही प्रभावशील हुआ। छत्तीसगढ़ राजपत्र दि. 3-10-2003 को पृष्ठ 2227-2228 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना एफ/20-70/2004/11 (6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा जोड़ा गया।
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-53/2020/11-6, दिनांक 14-12-2020 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 14-12-2020 से प्रभावी)।
4. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अधिसूचना क्र. एफ 20-70/2004/11/6, दिनांक 3-8-2021 द्वारा (दिनांक 3-8-2021 से प्रभावी) अन्तःस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 27-8-2021 को पृष्ठ 694 पर प्रकाशित।

राज्य शासन आदेश

विषय — शासकीय विभागों एवं उपक्रमों के उपयोग हेतु वस्त्र तथा रेडिमेड गारमेन्ट्स के क्रय करने के संबंध में।

संदर्भ — ग्रामोद्योग विभाग के पत्र क्र. एफ-15/2003/(6) 52 दिनांक 1-9-2003 एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का परिपत्र क्र. एफ-20-20/2004(11) 4 अगस्त 2004.

छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित परिपत्रों द्वारा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में लगने वाले वस्त्रों एवं रेडिमेड गारमेन्ट्स के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. एवं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, को नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। विभागों को क्रय आदेश के विरुद्ध 75 प्रतिशत अग्रिम संचालक, ग्रामोद्योग के नाम ड्राफ्टस् देना है। शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय विभागों द्वारा उपर्युक्त अधिकृत नोडल एजेंसी से वस्त्र क्रय न करते हुए अन्य संस्थाओं से वस्त्र एवं रेडिमेड गारमेन्ट्स क्रय किए जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

अतः नोडल एजेंसियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या., डी-6 0, सेक्टर 03, देवेन्द्र नगर रायपुर एवं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पण्डरी, रायपुर के अतिरिक्त यदि अन्य संस्थाओं से, बिना ग्रामोद्योग विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के वस्त्र क्रय किये जाते हैं तो उनके देयकों का भुगतान न किया जाये। साथ ही, 75 प्रतिशत संचालक, ग्रामोद्योग के नाम से क्रय हेतु अग्रिम दिया जाना है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

[छत्तीसगढ़ शासन, वि.वि.क्र. 8/681/2004/ब-1/चार, दिनांक 11-8-2004]

विषय — भण्डार क्रय नियमों का पालन करने बाबत्।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इस विभाग के ज्ञापन क्र. 5/1/82/11/व, दिनांक 25-7-84 के द्वारा भण्डार क्रय के नियम 14-ए एवं 14-बी के तहत उल्लेखित वस्तुओं की खरीदी म.प्र.राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, म.प्र.राज्य वस्त्र निगम एवं म.प्र.राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से की जाना अनिवार्य किया है किन्तु विभागों द्वारा इस पर किसी भी तरह का अमल नहीं हो पा रहा है। राज्य शासन ने बुनकरों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके द्वारा उत्पादित माल की सही ढंग से बिक्री हो सके, उक्त संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाने का आदेश दिया था। उक्त संस्थाओं द्वारा शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली मांग को दृष्टिगत रखते हुये भारी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन करवा लिया है जो उन समितियों की पूरी पूँजी इस उत्पादित माल में लग गई है। म. प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति की बहुत बड़ी धनराशि भी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के क्रय किये गये माल में लगी हुई है। अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुये भंडार क्रय नियम के अनुसार शासकीय विभागों में लगने वाला कपड़ा एवं अन्य सामग्री उक्त संस्थाओं से ही क्रय किया जावे ताकि प्रदेश में बुनकरों को सहायता मिल सके।

उपरोक्त स्थिति में आप से निवेदन है कि भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिये अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

[म. प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक 10221/545/1/11/ब, दि. 8-10-1985]

नियम 9. इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग/उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।

नियम 10. प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

नियम 11. [1][सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्त्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्त्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान में अकारण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज देय होगा।

प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहां पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे। इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी। समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जायेगा।

ई-मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के कारण 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Reciept Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee receipt - Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह PRC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। CRAC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।]

नियम 12. [2][**निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना—** वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21(2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अत: रूपए **तीन लाख** या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।]

राज्य शासन आदेश

संविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ भेजना

विषय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक कास/विविध/ग्रुप-III/डी.आई./257, दिनांक 9-1-89 की प्रतिलिपि संलग्न है। मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21 (12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जांच करे। इस जाँच को करने के लिये महालेखाकार ने चाहा है कि एक लाख रुपये या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ उन्हें समय पर उपलब्ध कराई जावें।

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-70/2004/11-6, दिनांक 29-12-2020 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 29-12-2020 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 12 निम्नवत् था :-*
"नियम 12. निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियाँ महालेखाकार कार्यालय को भेजना - वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें। अत: रुपये एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएंगी।"

2. राज्य शासन चाहता है कि वित्त संहिता भाग 1 में इस बाबत् किये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जावे। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न- एक।

[वित्त विभाग क्रमांक 553/976/नि.5/चार/89, दिनांक 6-10-1989]

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र. ज्ञापन क्रमांक कास/विविध /ग्रुप-III/ डी.आई./257, दिनांक 9-1-89 की प्रतिलिपि

म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 के नियम 21(12) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जाँच करे। इस जाँच को पूरा करने के लिये आवश्यक है कि एक लाख रुपये या उससे अधिक के उपबंधों की प्रतियाँ शासन एवं विभाग तत्काल ऑडिट को भेजा करे। विभागाध्यक्षों को एक लाख से कम रकम के अनुबंधों की सूची महालेखाकार कार्यालय को 10 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी को भेजनी होती है। इन सूचियों के आधार पर चयनित संविदाओं की प्रतियाँ फिर जाँच हेतु लेखा परीक्षा में बुलाई जाती हैं।

प्राय: यह देखा गया है कि बार-बार लिखने के पश्चात् भी संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की गई है, जिससे उनकी जाँच केन्द्रीय लेखा में होना शेष रह जाती है। इस स्थिति से अवगत कराते हुए निवेदन है कि संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ/सूचियाँ शासन एवं प्रत्येक विभाग से अतिशीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किये जाएँ एवं उन आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रदाय करने की कृपा करें।

संदर्भ — इस विभाग का ज्ञापन क्र. 553/9762/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89।

इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार को भेजी जावें।

2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर द्वारा सूचित किया गया है कि संदर्भित शासनादेश के बावजूद भी एक लाख से ऊपर के संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ अभी भी उन्हें नहीं भेजी जा रही है।

3. संविदा भुगतान देयकों की लेखा परीक्षा, तभी कारगर रूप से की जा सकती है, जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियां महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जावें।

4. अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि रुपये एक लाख से ऊपर की संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखाकार (ऑडिट) प्रथम/द्वितीय को भेजी जायें। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी "निरंक" जानकारी भेजी जाये।

[वित्त विभाग क्रमांक 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-1991]

संदर्भ — इस विभाग के ज्ञापन क्र. 553/9762/नि-5/चार/89, दिनांक 6-10-89 एवं 94/108/नि-5/चार/91, दिनांक 4-3-1991।

उपरोक्त विषय में इस विभाग द्वारा प्रसारित संदर्भित ज्ञापनों में समस्त विभागों से यह निवेदन किया गया था कि एक लाख रुपये या उससे ऊपर की संविदा एवं अनुबंध की प्रतियाँ महालेखाकार को नियमित एवं निश्चित रूप से भेजी जाया करें, परन्तु विभागों द्वारा शासन से प्रसारित निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के

कारण महालेखाकार ने अपने अ. शा. पत्र दिनांक 26-9-91 से शासन के ध्यान में पुन: यह बात लाई है कि विभागों द्वारा 1 लाख रुपये या उससे अधिक के क्रय संबंधी स्वीकृति की प्रतियाँ नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को नहीं भेजी जा रही हैं। यदि विभागों द्वारा 1 लाख या अधिक की संविदा का अनुबंध नहीं किया जाता है तो भी उसकी "निरंक" जानकारी नियमित एवं निश्चित रूप से महालेखाकार को भेजनी होती है।

2. संविदा भुगतान देयकों का लेखा परीक्षण तभी कारगर रूप से किया जा सकता है जब भुगतान के देयकों के अनुबंधों की प्रतियाँ महालेखाकार को नियमित तथा निश्चित रूप से भेजी जायें। राज्य शासन चाहता है कि म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 में इस बाबत् किये गये प्रावधानों का भी विभागों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाये।

3. अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि एक 1 लाख रुपये या उससे अधिक की संविदा अनुबंधों की प्रतियाँ नियमित एवं अनिवार्य रूप से महालेखाकार को भेजी जाये। यदि वर्ष के दौरान ऐसे अनुबंध नहीं किये गये हों तो भी "निरंक" जानकारी ही महालेखाकार को भेजी जाये।

[वित्त विभाग क्रमांक 513/1428/नि-5/चार/91, दिनांक 30-11-1991]

विषय — (Contract Agreement) संविदा एवं अनुबंधों की प्रतियां भेजने के सम्बन्ध में।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग 1 नियम 21(12) के अनुसार लेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिये संविदा एवं अनुबंधों की वह जाँच करे। इस जाँच को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि एक लाख या इससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां शासन एवं विभाग तत्काल ऑडिट को भेजा करे। विभागाध्यक्षों को एक लाख से कम रकम के अनुबंधों की सूची महालेखाकार कार्यालय को 10 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी को भेजनी होती है इन सूचियों के आधार पर चयनित संविदाओं की प्रतियाँ फिर जाँच हेतु लेखा परीक्षा में बुलानी है।

प्राय: यह देखा गया है कि बार-बार यह लिखने के पश्चात् भी संविदा एवं अनुबंध की प्रतियां-सूचियां लेखा परीक्षा को प्रदाय नहीं की गई हैं जिससे उनकी जाँच केन्द्रीय लेखा में होना शेष रह जाती है। इस स्थिति से अवगत कराते हुये निवेदन है कि संविदा एवं अनुबंध की प्रतियां-सूचियां शासन एवं प्रत्येक विभाग से अतिशीघ्र भिजवाने के निर्देश जारी किये जावें एवं उन आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रदाय करने की कृपा करें।

[महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र. शा.क्र.कास-विविध-ग्रुप III-डी.आई.-257, दिनांक 9-1-89]

नियम-13. [1][सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने तथा इकाई की पंजीकृत उत्पादन क्षमता की सीमा में होने की दशा में ऐसे उद्योगों से अनिवार्यत: सामग्रियां क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।]

13.1 [2][***]

13.2 [2][***]

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-53/2020/11-6, दिनांक 1-9-2020 द्वारा नियम 13.1 एवं 13.2 विलोपित (दिनांक 1-9-2020 से प्रभावी)।

13.3 [1][भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 33(3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।]

नियम 14. [2][***]

14.1 [2][***]

नियम 15. [3][***]

[4][**15.1** क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी —

15.1-क. समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाइट का पता भी दिया जाए।

15.1-ख. निविदा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिये यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाइट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।

15.1-ग. ऐसे निविदाकारों से जिन्होने वेबसाइट से डाउनलोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी।

15.1-घ. [5][जिन वस्तुओं की निविदा आमंत्रित किया जाना है, उसे यथासंभव ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जावे।]]

---

1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 30-09-2019 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-2019 से प्रभावी)।
2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ 20-53/2020/11-6, दिनांक 1-9-2020 द्वारा नियम 14 एवं उप-नियम 14.1 विलोपित (दिनांक 1-9-2020 से प्रभावी)।
3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा नियम 15 विलोपित। (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *विलोपन के पूर्व नियम 15 निम्नवत् था :-*
   "भण्डार क्रय से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा किसी अन्य नियम के अभाव में डी.जी.एस. एण्ड डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।"
4. नियम 15.1, 15.1-क, 15.1-ख, 15.1-ग एवं 15.1-घ को अधिसूचना क्रमांक एफ. 20-70/2004/11(6) दिनांक 3-9-2004 द्वारा जोड़ा गया।
5. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक एफ-20-70/2004/11/6, दिनांक 09-05-2022 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 9-5-2022 से प्रभावी)। *प्रतिस्थापन के पूर्व उपनियम 15.1 (घ) निम्नवत् था :-*
   "*15.1-घ.* कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई-टेण्डरिंग किया जा सकता है, ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी।"

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type: Budget Allotment Report

Financial Year: 2022_23 **From Date:** 01/04/2022 **To Date:** 10/11/2022

BCO Code/DDO Code 0138006 शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खड़गवा

Budget Type ALL

Demand Number(Optional)

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2022_23

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0138006	33-2202-02-109-0000-3492-01-003-V	0	0	0	0	0	0
2	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	71,00,000	0	49,15,721	21,84,279	0	49,15,721
3	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	12,07,000	0	7,06,170	5,00,830	0	7,06,170
4	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	35,000	0	18,160	16,840	0	18,160
5	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,29,000	0	49,360	79,640	0	49,360
6	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	15,000	0	13,750	1,250	0	13,750
7	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
8	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	40,000	-32,000	0	40,000
9	0138006 आकस्मिक मजदूरी	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	10,000	0	0	10,000	0	0
10	0138006 यात्रा भत्ता	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	10,000	0	9,070	930	0	9,070
11	0138006 डाक तार व्यय	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	3,000	0	3,000	0	0	3,000
12	0138006 दूरभाष व्यय	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	10,000	0	0	10,000	0	0
13	0138006 फर्नीचर	41-2202-03-103-0102-0798-04-003-V	2,50,000	0	0	2,50,000	0	0
14	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	0	0	0	0	0	0
15	0138006 बिजली	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	55,000	0	39,840	15,160	0	39,840
16	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	0	0	0	0	0	0
17	0138006 लेखन सामग्री	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	20,000	0	10,000	10,000	0	10,000
18	0138006 -	41-2202-03-103-0102-0798-04-009-V सूचना प्रौद्योगिकी	1,00,000	0	0	1,00,000	0	0
19	0138006 अन्य मरम्मत कार्य	41-2202-03-103-0102-0798-24-012-V	10,000	0	0	10,000	0	0
20	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	0	0	0	0	0	0
21	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	0	0	0	0	0	0
22	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-33-003-V	0	0	0	0	0	0
23	0138006	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	0	0	0	0	0	0
24	0138006	44-2202-03-103-0101-0798-04-005-V	0	0	0	0	0	0
25	0138006	44-2202-03-103-0101-0798-04-007-V	0	0	0	0	0	0
26	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-03-001-V	0	0	0	0	0	0
27	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-10-009-V	0	0	0	0	0	0
28	0138006	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	0	0	0	0	0	0
		Total	89,62,000	0	58,05,071	31,56,929	0	58,05,071

2021-22

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type:	Budget Allotment Report
Financial Year:	2021_22 — From Date: 01/04/2021 — To Date: 31/03/2022
BCO Code/DDO Code	0138006 — शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खडगवा
Budget Type	ALL
Demand Number(Optional)	

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2021_22

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0138006	33-2202-02-109-0000-3492-01-003-V	0	0	0	0	0	0
2	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	68,50,235	0	70,20,689	-1,70,454	0	70,20,689
3	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	7,26,000	0	7,25,906	94	0	7,25,906
4	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	24,880	0	28,240	-3,360	0	28,240
5	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,32,437	0	1,20,742	11,695	0	1,20,742
6	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	10,000	0	18,600	-8,600	0	18,600
7	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
8	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	40,000	-32,000	0	40,000
9	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
10	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	15,000	0	14,527	473	0	14,527
11	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	2,000	0	2,000	0	0	2,000
12	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	5,000	0	0	5,000	0	0
13	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	0	0	0	0	0	25,000
14	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	25,000	0	25,000	0	0	0
15	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	5,000	0	0	5,000	0	0
16	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	10,000	0	9,999	1	0	9,999
17	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	0	0	0	0	0	0
18	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	3,50,000	0	3,49,130	870	0	3,49,130
19	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-28-006-V	50,000	0	49,918	82	0	49,918
20	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-33-003-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
21	0138006	41-2202-03-103-0102-7751-27-002-V	18,72,000	18,72,000	0	0	18,72,000	18,72,000
22	0138006	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	43,400	0	43,385	15	0	43,385
23	0138006	44-2202-03-103-0101-0798-04-005-V	45,000	0	44,900	100	0	44,900
24	0138006	44-2202-03-103-0101-0798-04-007-V	0	0	0	0	0	0
25	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-03-001-V	0	0	0	0	0	0
26	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-10-009-V	1,47,500	0	1,47,500	0	0	1,47,500
27	0138006	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	6,650	0	6,579	71	0	6,579
		Total	103,38,102	18,72,000	86,57,115	-1,91,013	18,72,000	105,29,115

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type:	Budget Allotment Report
Financial Year:	2020_21 **From Date:** 01/04/2020 **To Date:** 31/03/2021
BCO Code/DDO Code	0138006 शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खडगवा
Budget Type	ALL
Demand Number(Optional)	

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2020_21

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0138006	33-2202-02-109-0000-3492-01-003-V	0	0	0	0	0	0
2	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	51,69,600	0	51,69,592	8	0	51,69,592
3	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	6,14,000	0	5,98,776	15,224	0	5,98,776
4	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	33,000	0	29,840	3,160	0	29,840
5	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,25,000	0	1,30,919	-5,919	0	1,30,919
6	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	15,000	0	10,200	4,800	0	10,200
7	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
8	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	16,000	-8,000	0	16,000
9	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	30,000	0	29,900	100	0	29,900
10	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	11,000	0	10,969	31	0	10,969
11	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	3,500	0	3,500	0	0	3,500
12	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	8,000	0	0	8,000	0	0
13	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	50,000	0	50,000	0	0	50,000
14	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	25,000	0	25,000	0	0	25,000
15	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	5,000	0	0	5,000	0	0
16	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	7,000	0	7,000	0	0	7,000
17	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	60,000	0	60,000	0	0	60,000
18	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	25,000	0	25,000	0	0	25,000
19	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-28-006-V	20,000	0	20,000	0	0	20,000
20	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-33-003-V	10,000	0	9,990	10	0	9,990
21	0138006	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	43,400	0	43,399	1	0	43,399
22	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-03-001-V	20,000	0	0	20,000	0	0
23	0138006	44-2202-03-103-0101-7751-10-009-V	50,000	0	20,500	29,500	0	20,500
24	0138006	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	6,650	0	6,650	0	0	6,650
		Total	**63,39,150**	**0**	**62,67,235**	**71,915**	**0**	**62,67,235**

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type:	Budget Allotment Report
Financial Year:	2018_19 — From Date: 01/04/2018 — To Date: 31/03/2019
BCO Code/DDO Code	0138006 | शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खड़गवां
Budget Type	ALL
Demand Number(Optional)	

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2018_19

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0138006	33-2202-02-109-0000-3492-01-003-V	0	0	0	0	0	0
2	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	42,30,000	0	42,95,921	-65,921	0	42,95,921
3	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	5,50,000	0	16,48,109	-10,98,109	0	16,48,109
4	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	33,000	0	32,640	360	0	32,640
5	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,25,000	0	1,44,635	-19,635	0	1,44,635
6	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	15,000	0	10,200	4,800	0	10,200
7	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
8	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	5,000	0	0	5,000	0	0
9	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	0	0	0	0	0	0
10	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-02-005-V	0	0	0	0	0	0
11	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	3,000	0	2,990	10	0	2,990
12	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
13	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	10,000	0	0	10,000	0	0
14	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-003-V	25,000	0	24,900	100	0	24,900
15	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	0	0	0	0	0	0
16	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	20,000	0	0	20,000	0	0
17	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	0	0	0	0	0	0
18	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	5,000	0	4,980	20	0	4,980
19	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-008-V	15,000	0	14,980	20	0	14,980
20	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-10-009-V	3,000	0	3,000	0	0	3,000
21	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	2,00,000	0	1,99,919	81	0	1,99,919
22	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	2,00,000	0	1,99,972	28	0	1,99,972
23	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-28-006-V	1,00,000	0	99,474	526	0	99,474
24	0138006	41-2202-03-103-0102-7751-25-001-V	1,50,000	0	1,49,468	532	0	1,49,468
25	0138006	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	44,100	0	44,100	0	0	44,100
26	0138006	44-2202-03-003-0102-0798-01-001-V	0	0	10,360	-10,360	0	10,360
27	0138006	44-2202-03-003-0102-0798-01-003-V	0	0	10,360	-10,360	0	10,360
28	0138006	44-2202-03-003-0102-0798-01-006-V	0	0	725	-725	0	725
29	0138006	44-2202-03-003-0102-0798-01-014-V	0	0	450	-450	0	450
30	0138006	44-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	0	0	41,440	-41,440	0	41,440
31	0138006	44-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	0	0	39,368	-39,368	0	39,368
32	0138006	44-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	0	0	2,900	-2,900	0	2,900
33	0138006	44-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	0	0	1,800	-1,800	0	1,800
34	0138006	44-2202-03-104-0102-0798-01-001-V	0	0	10,360	-10,360	0	10,360
35	0138006	44-2202-03-104-0102-0798-01-003-V	0	0	10,360	-10,360	0	10,360
36	0138006	44-2202-03-104-0102-0798-01-006-V	0	0	725	-725	0	725
37	0138006	44-2202-03-104-0102-0798-01-014-V	0	0	450	-450	0	450
38	0138006	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	3,850	0	3,850	0	0	3,850
		Total	57,41,950	0	70,13,436	-12,71,486	0	70,13,436

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type:	Budget Allotment Report
Financial Year:	2019_20 — From Date: 01/04/2019 — To Date: 31/03/2020
BCO Code/DDO Code	0138006 शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खड़गवां
Budget Type	ALL
Demand Number(Optional)	

Show Report | Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2019_20

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0138006	33-2202-02-109-0000-3492-01-003-V	0	0	0	0	0	0
2	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	86,53,000	0	57,90,281	28,62,719	0	57,90,281
3	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	10,85,000	0	8,22,943	2,62,057	0	8,22,943
4	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	33,000	0	32,640	360	0	32,640
5	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	1,75,000	0	1,44,381	30,619	0	1,44,381
6	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	15,000	0	10,200	4,800	0	10,200
7	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
8	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	0	8,000	0	0
9	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
10	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	5,000	0	0	5,000	0	0
11	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	10,000	0	0	10,000	0	0
12	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	20,000	0	0	20,000	0	0
13	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
14	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-04-008-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
15	0138006	41-2202-03-103-0102-0798-10-009-V	6,000	0	3,000	3,000	0	3,000
16	0138006	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	43,400	0	43,400	0	0	43,400
17	0138006	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	6,650	0	6,650	0	0	6,650
		Total	**100,75,050**	**0**	**68,68,495**	**32,06,555**	**0**	**68,68,495**

AUDIT REPORT &
FINANCIAL STATEMENTS

MA MAHAMAYA COLLEGE

KHADGAWAN

DISTRICT – M.C.B

(FORM 01.04.2018 TO 31.03.2019)

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ PARTNER BAIKUNTHPUR

Prepared By

M/ s. Laxmi Tripti & Associates (F.No.009189C)
CA Aakash Agrawal (Partner)
Infront of Tvs showroom ,School Para,Main ,Road - NH43,Baikunthpur

Mo.9893831622,7974424981,Email- caaakashagrawal21@gmail.com

To.

The Principal
Govt. Maa Mahamaya College
Khadgawan Distt – M.C.B (C.G.)

Dear Sir,

We have examined the attached Receipt & Payment A/c of Govt. Ma Mahamaya College Khadgawan Distt – MCB (C.G.) for the priod 01/04/2018 to 31/03/2019.

We have obuained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of such examination.

According to the information and explanation given to us, the Receipt & Payment A/c for the period 01/04/2018 to 31/03/2019 to is in agreement wich the books of Accounts, produced befor us for our verification.

PLACE- BAIKUNTHPUR
Date: - 14-02-2024
UDIN-

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ PARTNER BAIKUNTHPUR

Aakash Agrawal

M/S, LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE
Chartered Accountants

CA AAKASH AGRAWAL
(PARTNER)
M. NO. 435261

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN

DISTT.- MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR

RECEIPT AND PAYMENT

FOR THE YEAR ENDING 01.04.2018 TO 31.03.2019

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
To,Grant Received From Govt	70,13,436.00	BY,Payment to Salary	62,60,803.00
		By,Travelling Exp.	2,990.00
		By,Postal & Telegram Exp.	5,000.00
		By,Furniture & Office Equipment.	24,900.00
		By,Stationary & form Printings Exp.	4,980.00
		By,Other Machine Equipments Exp.	99,474.00
		By,Affiliation Exp.	3,000.00
		By,ST SC Staionary and books Exp.	47,950.00
		By,Non Office Furniture Exp.	1,99,972.00
		By,Others Incidencial Exp.	14,980.00
		By,Stores and Raw Material	3,49,387.00
TOTAL	70,13,436.00	TOTAL	70,13,436.00

Place-Baikunthpur
Date-14/02/2024
UDIN- 24435261BKAGAB9368

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates

CA.Aakash Agrawal
Partner
M.No.435261

Aakash Agrawal

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-009189C PARTNER

AUDIT REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

MA MAHAMAYA COLLEGE

KHADGAWAN

DISTRICT – M.C.B

(FORM 01.04.2019 TO 31.03.2020)

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
PARTNER
BAIKUNTHPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

Prepared By

M/ s. Laxmi Tripti & Associates (F.No.009189C)

CA Aakash Agrawal (Partner)

Infront of Tvs showroom ,School Para,Main ,Road - NH43,Baikunthpur

Mo.9893831622,7974424981,Email-caaakashagrawal21@gmail.com

To.

The Principal
Govt. Maa Mahamaya College
Khadgawan Distt – M.C.B (C.G.)

Dear Sir,

We have examined the attached Receipt & Payment A/c of Govt. Ma Mahamaya College Khadgawan Distt – MCB (C.G.) for the priod 01/04/2019 to 31/03/2020.

We have obuained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of such examination.

According to the information and explanation given to us, the Receipt & Payment A/c for the period 01/04/2019 to 31/03/2020 to is in agreement wich the books of Accounts, produced befor us for our verification.

PLACE- BAIKUNTHPUR
Date: - 14-02-2024
UDIN-

M/S, LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE
Chartered Accountants

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
PARTNER
BAIKUNTHPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA AAKASH AGRAWAL
(PARTNER)
M. NO. 435261

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN

DISTT.- MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR

RECEIPT AND PAYMENT

FOR THE YEAR ENDING 01.04.2019 TO 31.03.2020

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
To,Grant Recelved From Govt	68,68,495.00	By,Payment to Salary	68,00,445.00
		By,Travelling Exp.	5,000.00
		By,Stationary & form Printings Exp.	5,000.00
		By,Affiliation Exp.	3,000.00
		By,ST Stationary and books Exp.	50,050.00
		By,Others Incidencial Exp.	5,000.00
TOTAL	68,68,495.00	TOTAL	68,68,495.00

Place-Baikunthpur
Date-14/02/2024
UDIN - 24435261BKAGAC4796

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates

CA.Aakash Agrawal
Partner
M.No.435261

FRN-009189C
PATRNER

AUDIT REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

MA MAHAMAYA COLLEGE

KHADGAWAN

DISTRICT – M.C.B

(FORM 01.04.2020 TO 31.03.2021)

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
PARTNER
BAIKUNTHPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

Prepared By

M/ s. Laxmi Tripti & Associates (F.No.009189C)

CA Aakash Agrawal (Partner)

Infront of Tvs showroom ,School Para,Main ,Road - NH43,Baikunthpur

Mo.9893831622,7974424981,Email-caaakashagrawal21@gmail.com

To.

The Principal
Govt. Maa Mahamaya College
Khadgawan Distt – M.C.B (C.G.)

Dear Sir,

We have examined the attached Receipt & Payment A/c of Govt. Ma Mahamaya College Khadgawan Distt – MCB (C.G.) for the priod 01/04/2020 to 31/03/2021.

We have obuained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of such examination.

According to the information and explanation given to us, the Receipt & Payment A/c for the period 01/04/2020 to 31/03/2021 to is in agreement wich the books of Accounts, produced befor us for our verification.

Aakash Agrawal

PLACE- BAIKUNTHPUR
Date: - 14-02-2024
UDIN-

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ PARTNER BAIKUNTHPUR

M/S, LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE
Chartered Accountants

CA AAKASH AGRAWAL
(PARTNER)
M. NO. 435261

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN

DISTT.- MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR

RECEIPT AND PAYMENT

FOR THE YEAR ENDING 01.04.2020 TO 31.03.2021

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
To,Grant Recelved From Govt	6267235	BY,Payment to Salary	59,55,327.00
		By,Travelling Exp.	10,969.00
		By,Incidencial Wages Exp.	29,900.00
		By,Postal & Telegram Exp.	3,500.00
		By,Books and Magazines Exp.	50,000.00
		By,Electricity and Water charges Exp.	25,000.00
		By,Stationary and form printing Exp.	7,000.00
		By,Other machine tools Exp.	20,000.00
		By,Non Office Furniture Exp.	25,000.00
		By,Stores and Raw Material	60,000.00
		By,Equipment Maintenance Exp.	9,990.00
		By,Website Exp.	20,500.00
		By,ST SC Stationary and books Exp.	50,049.00
TOTAL	62,67,235.00	TOTAL	62,67,235.00

Place-Baikunthpur
Date-14/02/2024
UDIN- 24435261BKAGAD5262

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates

CA.Aakash Agrawal
Partner
M.No.435261

AUDIT REPORT &
FINANCIAL STATEMENTS

MA MAHAMAYA COLLEGE

KHADGAWAN

DISTRICT – M.C.B

(FORM 01.04.2021 TO 31.03.2022)

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS PARTNER BAIKUNTHPUR

Prepared By

M/ s. Laxmi Tripti & Associates (F.No.009189C)
CA Aakash Agrawal (Partner)
Infront of Tvs showroom ,School Para,Main ,Road - NH43,Baikunthpur

Mo.9893831622,7974424981,Email-caaakashagrawal21@gmail.com

To.

The Principal
Govt. Maa Mahamaya College
Khadgawan Distt – M.C.B (C.G.)

Dear Sir,

We have examined the attached Receipt & Payment A/c of Govt. Ma Mahamaya College Khadgawan Distt – MCB (C.G.) for the priod 01/04/2021 to 31/03/2022.

We have obuained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of such examination.

According to the information and explanation given to us, the Receipt & Payment A/c for the period 01/04/2021 to 31/03/2022 to is in agreement wich the books of Accounts, produced befor us for our verification.

PLACE- BAIKUNTHPUR
Date: - 14-02-2024
UDIN-

M/S, LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE
Chartered Accountants

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
PARTNER
BAIKUNTHPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA AAKASH AGRAWAL
(PARTNER)
M. NO. 435261

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN

DISTT.- MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR

RECEIPT AND PAYMENT

FOR THE YEAR ENDING 01.04.2021 TO 31.03.2022

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
To,Grant Recelved From Govt	1,05,29,115.00	BY,Payment to Salary	79,54,177.00
		By,Incidencial Wages Exp.	5,000.00
		By,Travelling Exp.	14,527.00
		By,Postal & Telegram Exp.	2,000.00
		By,Electricity and Water charges Exp.	69,900.00
		By,Stationary and form printing Exp.	9,999.00
		By,Non Office Furniture Exp.	3,49,130.00
		By,Other machine tools Exp.	49,918.00
		By,Equipment Maintenance Exp.	5,000.00
		By,ST SC Stationary and books Exp.	49,964.00
		By,Construction work Exp.	18,72,000.00
		By,NAAC	1,47,500.00
TOTAL	1,05,29,115.00	TOTAL	1,05,29,115.00

Place-Baikunthpur
Date-14/02/2024
UDIN- 24435261BKAGAE4685

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates

CA.Aakash Agrawal
Partner
M.No.435261

FRN-009189C
PATRNER

AUDIT REPORT &
FINANCIAL STATEMENTS

MA MAHAMAYA COLLEGE

KHADGAWAN

DISTRICT – M.C.B

(FORM 01.04.2022 TO 31.03.2023)

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES
PARTNER
BAIKUNTHPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

Prepared By

M/ s. Laxmi Tripti & Associates (F.No.009189C)
CA Aakash Agrawal (Partner)
Infront of Tvs showroom ,School Para,Main ,Road - NH43,Baikunthpur

Mo.9893831622,7974424981,Email- caaakashagrawal21@gmail.com

To,

The Principal
Govt. Maa Mahamaya College
Khadgawan Distt – M.C.B (C.G.)

Dear Sir,

We have examined the attached Receipt & Payment A/c of Govt. Ma Mahamaya College Khadgawan Distt – MCB (C.G.) for the priod 01/04/2022 to 31/03/2023.

We have obuained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of such examination.

According to the information and explanation given to us, the Receipt & Payment A/c for the period 01/04/2022 to 31/03/2023 to is in agreement wich the books of Accounts, produced befor us for our verification.

PLACE- BAIKUNTHPUR
Date: - 14-02-2024
UDIN-

M/S, LAXMI TRIPTI & ASSOCIATE
Chartered Accountants

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES ✶ CHARTERED ACCOUNTANTS ✶ PARTNER BAIKUNTHPUR

CA AAKASH AGRAWAL
(PARTNER)
M. NO. 435261

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN

DISTT.- MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR

RECEIPT AND PAYMENT

FOR THE YEAR ENDING 01.04.2022 TO 31.03.2023

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
To,Grant Received From Govt	8,672,039.00	BY,Payment to Salary	8200525.00
		By,Electricity and Water charges Exp.	52,400.00
		By,Travelling Exp.	9,070.00
		By,Postal & Telegram Exp.	3,000.00
		By,Non Office Furniture Exp.	249,994.00
		By,Other ancidencial Wages Exp.	10,000.00
		By,Computer Repairing Exp.	10,000.00
		By,Computer IT Exp.	99,750.00
		By,ST SC Stationary and books Exp.	4,200.00
		By, Stationary Exp.	33,100.00
TOTAL	8,672,039.00	TOTAL	8,672,039.00

Place-Baikunthpur
Date-14/02/2024
UDIN-24435261BKAGAF9467

For,M/s,Laxmi Tripti & Associates

CA.Aakash Agrawal
Partner
M.No.435261